The Union Public Service Commission was consulted in the matter but the Commission have not agreed to the suggestion of the Boards as no weightage can be given for ad hoc service for the purposes of seniority, qualifying service etc.

Progress of Paper Mill at Badarpur

6952. SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he had paid a visit to the Cachar Paper Mill site at Badarpur being constructed by the Hindustan Paper Limited;

(b) whether it is a fact that the progress of this work is far behind the schedule;

(c) the steps taken to expedite the same; and

(d) whether it is also a fact that malpractices in employment there has caused resentment among the local youth if so, the steps taken to remedy the sit-, uation?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The progress of the project is being monitored closely and action has been taken to overcome various constraints which the project was facing.

(d) Recruitment is being done in accordance with the prescribed rules and regulations, either through advertisement or by notifying the local Employment Exchange. Two representatives of the State Government are on the Selection Committees and other things being equal, preference is given to locals in employment.

जिला नालन्दा को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया जाना

6953. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में कुछ औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों को चुना है और यदि हां, तो बिहार में ऐसे जिलों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या बिहार में जिला नालन्दा को भी इस चयन सूची में रखा गया है और यदि हां, तो इस जिले के औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जानी है; और

(ग) क्या औद्योगिक संस्थान की स्थापना करने के अतिरिक्त सरकार का विचार इसके विकास के लिये कोई अन्य उपाए करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी): (क) और (ख) बिहार में निम्नलिखित जिले अखिल भारतीय ऋणदाता संस्थानों के रियायती वित्त की पात्रता के लिए औद्योगिक दृष्टि से भागलपुर, चम्पारन, दरभंगा, मुजफरपुर पालामऊ, पूर्णिया, नालन्दा, औरंगाबाद नावदा, गया, भोजपुर बेगुसराय तथा मुंगेर । रेखांकित जिले केन्द्रीय निवेश राजसहायता के भी पात्र हैं । इसके अलावा, हाल ही में केन्द्र सरकार ने औद्योगिकीकरण योजनाओं और कार्यक्रमों में प्राथमिकता देने के लिए बड़े या मझोले उद्योग रहित जिलों का पता लगाया है । नालन्दा जिला इस सूची में शामिल है और सम्बन्धित आर्थिक मंत्रालयों तथा राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वे ऐसी दिशाओं का पता लगाएं जिनसे जिले के औद्योगिकीकरण में सहायता मिल सके ।

(ग) नालन्दा जिले के औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों और सुविधाओं के अलावा, केन्द्र सरकार रियायती वित्त, कर सम्बन्धी रियायतें लघु उद्योगों द्वारा मशीनों का किराया खरीद तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श ब्याज राजसहायता कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं जिला उद्योग केन्द्र तथा मूल/सीमान्त धनराशि सहायता जैसे, प्रोत्साहन प्रदान करती है ।